21/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

रामदेव चौहान बनाम स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :– 2022 / 189 (Gems)

21.02.2022 यह पत्रावली वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर तहसीलदार घड़साना से रिपोर्ट प्राप्त होकर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके तहसीलदार घड़साना से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी होकर पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट में दिनांक 16.03.2022 को पेश हो।

16.3.22 पत्रावली पेश। कोई उपस्थित नहीं। तहसील रिपोर्ट प्राप्त नहीं। इंतजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.4.22 को पेश हो।

27.4.22 पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/~~अवकाश पर~~/ ~~मुख्यालय से बाहर है~~। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 25.5.22 को पेश हो।

25.5.22 पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/ मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 14.6.22 को पेश हो।

10.6.22 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के फॉलोअप शिविर के ग्राम पंचायत 3STR में कैम्प के दौरान वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार घड़साना से रिपोर्ट पुनः प्राप्त हो चुकी है। ग्राम पंचायत की तस्दीक भी प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का

रामदेव

शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित रकबा वादी के दादा को आवंटन हुआ था। दादा और पिता के फौत ~~होने~~ के बाद परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा करवाई गई हस्तकरदारी में वादी का नाम रामदेवराम दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम रामदेव चौहान दर्ज है। इसलिए वादग्रस्त रकबा में वादी का नाम दुरुस्त करते हुए वादी का नाम रामदेव चौहान पुत्र राजकुमार दर्ज करने की घोषणा की जावे। स्टेट की ~~तरफ~~ ओर से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा व पिता के फौत होने के बाद हस्तकरदारी नामान्तरण संख्या 104/20.10.2009 द्वारा वादी के नाम दर्ज हुई है। स्टेट की ओर से किसी प्रकार का एतराज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं वादी की बहस पर मनन करने के पश्चात वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा

फर्द अहकाम

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	88 RTA स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि तहसील घड़साना के चक 14-18 KWM के ख.नं. 112/6 के कि.नं. 1 ता 10, 13 ता 15 की 3.037 हैक्टेयर कृषि भूमि को रामदेव चौहान पुत्र राजकुमार जाति चमार सा० नई मण्डी घड़साना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। एवं तहसीलदार घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। यह आदेश आज दिनांक 10-06-2022 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 3 DKR में मजमा-ए-आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	